परिशिष्ट –1

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष, सदस्य तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में अध्यक्ष के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 29 और 43 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता भर्ती की पद्धति नियुक्ति की प्रकिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1) के अंतर्गत प्रकिया का निर्धारणः–

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अध्यक्ष, सदस्य तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोगों में अध्यक्ष के पदों की पूर्ति हेतु राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 08.फरवरी 2021 द्वारा अंगीकृत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता भर्ती की पद्धति नियुक्ति की प्रकिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 के संदर्भ में चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया निम्नानुसार हैः–

1. **रिक्तियां :–**

   आगामी 31 दिसम्बर 2022 तक होने वाली रिक्तियों को शामिल करते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अध्यक्ष, सदस्य (न्यायिक) के 01 पद, जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के 08 पदों के लिए नियुक्ति किया जाना है।

2. **आवेदन पत्रों का आमंत्रण–**

   2.1 **विज्ञापन** – उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित **विज्ञापन** के द्वारा आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे है । उपरोक्त विज्ञापन खाद्य विभाग तथा राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।विज्ञापन में आवेदन पत्र प्रस्तुति के लिये अंतिम तिथि 18.08.2022 है ।

   विज्ञापन में रिक्त पदों को निम्नानुसार दर्शाया जायेगाः–

पदनाम	वर्तमान रिक्तियों / संभावित रिक्तियों की संख्या
अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	01
सदस्य, (न्यायिक) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	01
सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	–
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	08

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो **रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर** के पक्ष में देय होगा।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर **रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग** को प्रेषित किया जावेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र नही होने या अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जावेगा।

2.2 आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जावेगा –

(अ) अध्यक्ष एवं सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग –

1. आयु के समर्थन में प्रमाण/अंकसूची
2. शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में अंकसूची;
3. निर्धारित वर्षो के कार्य अनुभव के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
4. यदि पूर्व में सेवारत हैं तो अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र; तथा सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति ।
5. आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि को सेवा में होने पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र
6. निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट।

(ब) अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग –

1. आयु के समर्थन में हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो;
2. शैक्षणिक योग्यता हेतु स्नातक की अंकसूची;
3. कार्यक्षेत्र के ज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र में नियम में निर्धारित वर्षो के कार्य अनुभव के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र;
4. यदि पूर्व में सेवारत हैं तो अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र;
5. आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि को सेवा में होने पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र
6. अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाला कार्यानुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने की तिथि के एक माह से अधिक पूर्व का नहीं होना चाहिए उक्त प्रमाण पत्र सत्र न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा अधिकृत न्यायाधीश द्वारा जारी होना चाहिए।.

7. निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट

2.3 <u>आयु सीमा</u>– छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 की कंडिका 3 तथा कंडिका 4 के अन्तर्गत राज्य आयोग के सदस्य एवं जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयुसीमा, कार्यकाल, और अधिकतम आयुसीमा निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैः–

पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	कार्यकाल	अधिकतम आयु सीमा
अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	.....	04 वर्ष	65 वर्ष
सदस्य,राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	40 वर्ष	04 वर्ष	65 वर्ष
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	35 वर्ष	04 वर्ष	65 वर्ष

टीपः– अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग के लिये कार्यरत न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं जिला न्यायाधीश के पद हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के संदर्भ में कार्यरत न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिये न्यूनतम आयुसीमा की बाध्यता नहीं है, **परन्तु जिला न्यायाधीश के पद हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम आयुसीमा का निर्धारण किया जाना है।** जिला न्यायाधीश होने की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटि ान क्र. 42/2022 आदेश दिनांक 01.02.2022 में दिये गये निर्देश के संदर्भ में अधिकतम आयु 65 वर्ष होना चाहिए (जिला न्यायाधीश होने की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट अपील के अध्यधीन होगी)

3. प्राप्त आवेदन पत्रो का परीक्षण, डेटा एंट्री एवं स्क्रूटनी –

रजिस्ट्रार छत्तीसगढ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर को अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो को राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, जिला आयोगो के अध्यक्ष एवं जिला आयोगो के सदस्य के रूप में जिलेवार श्रेणीकरण कर पृथक–पृथक पंजी में पंजीबद्ध कर डेटा एंट्री उपरांत स्क्रूटनी समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये गये आवेदन पत्रो को सूचीबद्ध कर विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।

4. पात्र पाये गये आवेदन पत्रो पर दावा आपत्ति –

स्क्रूटनी समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये गये आवेदन पत्रो पर विभाग द्वारा दावाआपत्ति आमंत्रित कर दावाआपत्ति के निराकरण उपरांत सूचीबद्ध किये गये आवेदन पत्रो को चयन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

5. राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया –

5.1 अर्हता –

उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति , नियुक्ति की प्रकिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 3 (1) के अनुसार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, के सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक की अर्हता निम्नानुसार होगी–

'' कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह होगा ''

5.2 नियुक्ति की प्रक्रिया –

उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति , नियुक्ति की प्रकिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 6 के प्रावधानो के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो पर चयन समिति द्वारा विचार कर 02 नामो का पैनल राज्य शासन को प्रेषित किया जावेगा।

6. राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु –

6.1 अर्हता –

उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति , नियुक्ति की प्रकिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 3 (2) के अनुसार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, के सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक की अर्हता निम्नानुसार होगी–

क) आवेदक की न्यूनतम आयु चालीस (40) वर्ष होना चाहिए।
ख) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव
(परन्तु नियुक्ति किये जाने वाले सदस्यों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी) अथवा

ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और योग्यता, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम बीस वर्ष का अनुभव।

6.2 नियुक्ति प्रक्रिया –

अ) न्यायिक सदस्य के मामले में–

1) शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा 65 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी के सेवाकाल की अवधि में अनुभव के आधार पर उनके विगत पांच वर्षों के कार्यकाल के गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित किये जाने हेतु पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। पांच वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग निम्नानुसार होगीः–

A+ ग्रेड के लिये 10 अंक
A ग्रेड के लिये 08 अंक
B ग्रेड के लिये 06 अंक
C ग्रेड के लिये 04 अंक
D ग्रेड के लिये 02 अंक
E ग्रेड के लिये 00 अंक

1. अभ्यर्थी के पांच वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्याकंन में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु पात्र माना जाएगा।

2. समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी–

1. प्रथमतः अधिकतम सेवा अवधि को वरीयता।
2. द्वितीयः समान सेवा अवधि होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ को वरीयता।

2. साक्षात्कारः–

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 50 अंक के होंगे, जिनमें से 25 अंक चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा तथा $12^{1/2}$ एवं $12^{1/2}$ अंक समिति के सदस्यों द्वारा दिया जावेगा।

ब) <u>गैर न्यायिक सदस्य के मामले में प्रकिया –</u>

1) ऐसे शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा 65 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी जो राज्य शासन के प्रथम श्रेणी/न्यायिक अधिकारी हों अथवा रहे हों, के सेवाकाल की अवधि में अनुभव के आधार पर उनके विगत पांच वर्षों के कार्यकाल के गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित किये जाने

हेतु पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। पांच वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग निम्नानुसार होगीः–

A+ ग्रेड के लिये 10 अंक
A ग्रेड के लिये 08 अंक
B ग्रेड के लिये 06 अंक
C ग्रेड के लिये 04 अंक
D ग्रेड के लिये 02 अंक
E ग्रेड के लिये 00 अंक

3. अभ्यर्थी के पांच वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्याकंन में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु पात्र माना जाएगा।
4. समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी–
3. प्रथमतः अधिकतम सेवा अवधि को वरीयता।
4. द्वितीयः समान सेवा अवधि होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ को वरीयता।

2. साक्षात्कारः–

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 50 अंक के होंगे, जिनमें से 25 अंक चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा तथा $12^{1/2}$ एवं $12^{1/2}$ अंक समिति के सदस्यों द्वारा दिया जावेगा।

स) <u>अन्य अभ्यर्थी जो नियम 03 (ख) के अनुसार अर्हता रखते है के मामले में प्रकिया –</u>

1. राज्य आयोग के सदस्य के पद के लिये अन्य अभ्यर्थी जो नियम 3 (2)(ख) के अनुसार अर्हता एवं अनुभव रखते हैं और आवेदन प्रस्तुत करते हैं, उन्हें नियम में उपबंधित अनुभव के संबंध में स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही साक्षात्कार हेतु पात्र माना जा सकता है।

2. साक्षात्कारः–

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 50 अंक के होंगे, जिनमें से 25 अंक चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा तथा $12^{1/2}$ एवं $12^{1/2}$ अंक समिति के सदस्यों द्वारा दिया जावेगा।

समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी–

1. प्रथमतः जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ को वरीयता।
2. द्वितीयः समान जन्म तिथि होने की स्थिति मे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता।

द) **<u>पुनर्नियुक्ति के मामले में</u>**–

1. राज्य आयोग के सदस्य के पद पर पुनर्नियुक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में सदस्य रह चुके है और जो कि पुनर्नियुक्ति की पात्रता रखते हैं तथा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करते हैं, के मामले में उनके चयन का आधार अध्यक्ष, राज्य आयोग द्वारा उनके विगत कार्यकाल के सम्बंध में दिये गये अभिमत पर विचार करते हुए चयन समिति द्वारा साक्षात्कार उपरांत अनुशंसा करने का निर्णय लिया जायेगा।

2. साक्षात्कारः–

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 50 अंक के होंगे, जिनमें से 25 अंक चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा तथा $12^{1/2}$ एवं $12^{1/2}$ अंक समिति के सदस्यों द्वारा दिया जावेगा।

समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी–

1. प्रथमतः जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ को वरीयता।
2. द्वितीयः समान जन्म तिथि होने की स्थिति मे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता।

6.3– चयनसूची –

चयन समिति द्वारा प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिये दो नामों का पैनल राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा ।

7. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद हेतु प्रकिया–

7.1 अर्हता –

1. कोई व्यक्ति जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो अथवा होने के लिए अर्ह हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के अर्ह होगा।

उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश, माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक एफ नं. 2985/943/21–बी/सी.जी. द्वारा अधिसूचित उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम 2006 के नियम 2 (डी) में परिभाषित जिला न्यायाधीश के अनुसार होगा :–

''जिला न्यायाधीश मे जिला न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समाहित है के अनुसार होगा।''

(2) ऐसे व्यक्ति भी, जो जिला न्यायाधीश होने के लिये अर्ह हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह होगें। उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2006 का नियम 7 अधिवक्ता के जिला न्यायाधीश के पद सीधी भर्ती की योग्यता को उपबंधित करता है तथा नियम 2 (ए) अधिवक्ता को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में अधिवक्ता की जो परिभाषा उपबंधित की गई है, वह अधिवक्ता है। नियम 2006 के नियम 7 में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती के संबंध में योग्यता को स्पष्ट करता है, जिसके अनुसार –

कोई भी व्यक्ति जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती के लिये योग्य होगा यदि वह –

1. भारत का नागरिक हो।
2. विज्ञापन जारी किये जाने के पूर्व न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष होना चाहिए। जिला न्यायाधीश होने की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की रीट पिटिशन क्रमांक 42/2022 के आदेश दिनांक 01.02.2022 में दिये गये निर्देश के संदर्भ में अधिकतम आयु 65 वर्ष होना चाहिए (जिला न्यायाधीश होने की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट अपील के अध्यधीन होगी)
3. विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 7 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो।
4. उत्तम चरित्र, मानसिक रूप से स्वस्थ तथा किसी भी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से ग्रस्त न हो।

7.2 नियुक्ति प्रक्रिया –

अ) <u>सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश के मामले में</u>–

1. अभ्यर्थी के विगत 5 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन का मूल्यांकन एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जावेगा।
2. अभ्यर्थी के सेवाकाल की अवधि में अनुभव के आधार पर उनके विगत पांच वर्षों के कार्यकाल के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग निम्नानुसार होगीः–

A+ ग्रेड के लिये 10 अंक
A ग्रेड के लिये 08 अंक
B ग्रेड के लिये 06 अंक
C ग्रेड के लिये 04 अंक
D ग्रेड के लिये 02 अंक
E ग्रेड के लिये 00 अंक

3. अभ्यर्थी के पांच वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्याकंन में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु पात्र माना जाएगा।

समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी–

1. प्रथमतः अधिकतम सेवा अवधि को वरीयता।
2. द्वितीयः समान सेवा अवधि होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ को वरीयता।

2. साक्षात्कारः–

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 50 अंक के होंगे, जिनमें से 25 अंक चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा तथा $12^{1/2}$ एवं $12^{1/2}$ अंक समिति के सदस्यों द्वारा दिया जावेगा।

ब) जिला न्यायधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह व्यक्ति के मामले में–

1. अध्यक्ष पद हेतु जिला न्यायाधीश होने के लिये अर्ह व्यक्ति के लिये छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–5/2012/29–2 दिनांक 01.10.2021 में जारी प्रावधान अनुसार होगा ।

2. साक्षात्कारः–

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 50 अंक के होंगे, जिनमें से 25 अंक चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा तथा $12^{1/2}$ एवं $12^{1/2}$ अंक समिति के सदस्यों द्वारा दिया जावेगा।

2. समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी–

1. प्रथमतः स्टेट बार काउन्सिल मे पहले पंजीयन को वरीयता।
2. द्वितीयः समान तिथि/अवधि मे पंजीयन होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ को वरीयता।

स) पुनर्नियुक्ति के मामले मे–

1. जिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर पुनर्नियुक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं और जो कि पुनर्नियुक्ति की पात्रता रखते हैं तथा निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करते हैं, के मामले में उनके चयन का आधार अध्यक्ष, राज्य आयोग द्वारा उनके विगत कार्यकाल के संबंध में दिये गये अभिमत पर विचार करते हुए चयन समिति द्वारा साक्षात्कार उपरांत अनुशंसा करने का निर्णय लिया जायेगा।

2. साक्षात्कारः–

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 50 अंक के होंगे, जिनमें से 25 अंक चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा तथा $12^{1/2}$ एवं $12^{1/2}$ अंक समिति के सदस्यों द्वारा दिया जावेगा।

7.3 चयनसूची –

चयन समिति द्वारा प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिये दो नामों का पैनल राज्य शासन की ओर प्रेषित किया जाएगा ।

8. अन्य शर्तें (राज्य आयोग के अध्यक्ष को छोडकर सभी के लिये)–

1. ऐसा कोई विषय जिसके सम्बंध में उक्त प्रक्रिया में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, वह वहीं होगा जो कि उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियमों में उपबंधित नियुक्ति की प्रक्रिया में उल्लेखित है।
2. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में दर्शित जिलों में से एक या एक से अधिक जिलों में रिक्त पदो के लिये आवेदन में प्राथमिकता के आधार पर विकल्प दिया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा सीमित मात्रा में विकल्प दिये गये हैं और उन दिये गये विकल्पों में से किसी स्थान पर प्राथमिकता क्रम में नियुक्त किये जाने हेतु वह चयनित नहीं होता तो शेष जिलों, जिन्हें उसने विकल्प में नहीं चुना है, के लिये उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा चाहे वह वरीयता सूची में किसी भी स्थान पर हो। अभ्यर्थी द्वारा चयनित जिलों में नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने या न करने का अधिकार चयन समिति को है और इस संबंध में चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
3. आवेदन में आवेदक द्वारा स्वयं से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त निम्न घोषणाएं किया जाना होगा –

3.1) राज्य शासन द्वारा आवेदक को विज्ञापन में दर्शित जिले या आवेदक द्वारा चयनित जिले से भिन्न जिले में नियुक्त किये जाने पर उसे ऐसी नियुक्ति पर आपत्ति नहीं होगी।

3.2) जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य पद पर नियुक्ति पश्चात् आवश्यकतानुसार सम्बद्ध/अंशकालिक या पूर्णकालिक जिला आयोगों का प्रभार दिया जा सकेगा।

3.3) आवेदक द्वारा चयनित जिले/जिलों में यदि मेरिट अनुसार पद भर जाने या किसी अन्य कारण से आवेदक की नियुक्ति नहीं हो पाती है तो उसे इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय स्वीकार होगा।

4. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी भी मामले में, आवेदक/उम्मीदवार अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और/या चयन/नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं :–

(1) यदि वह न्यायिक सेवा या सरकारी या वैधानिक या स्थानीय प्राधिकरण में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, हटाया या बर्खास्त कर दिया गया है; या

(2) यदि उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी मामले में दोषी ठहराया गया है; या

(3) यदि उसे संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक आयोग द्वारा परीक्षा या उसके द्वारा आयोजित चयन के लिए स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है; या

(4) यदि उसे छत्तीसगढ़ की बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी अवधि के लिए दंडित किया गया है; या

(5) यदि उसे अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है; या

(6) यदि वह अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती प्राधिकारी का प्रभावित करता है; या

(7) यदि उसके एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं; या

(8) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(9) यदि वह विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है तो वह आवेदित पद के लिए अयोग्य हो जाएगा; या

(10) उम्मीदवार/आवेदक द्वारा या उसके लिए प्रतिरूपण या अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में कोई जाली दस्तावेज बनाना या जमा करना;

(11) यदि वह चयन प्रक्रिया या नियुक्ति के किसी भी चरण में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है या कोई गलत जानकारी प्रदान करता है; या

(12) यदि वह साक्षात्कार के दौरान, किसी अधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति को परेशान करता है या धमकी देता है या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है या दुर्व्यवहार करता है; या

(13) प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी रूप में प्रचार करना भी अयोग्यता होगी। इसी प्रकार, किसी उम्मीद्वार की ओर से प्रभावशाली व्यक्तियों या सरकार के अधिकारियों के माध्यम से अपनी उम्मीद्वारी/चयन/नियुक्ति के लिए समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास भी उसे उम्मीद्वारी/चयन/नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।